

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक 18 अ-82/2019-20 मौजा-मल्हारा (नहर)/1916 . बैतूल दिनांक 13/02/2020

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	मल्हारा	1.934	घाटबिरोली लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	65	0.567	0.069	रामचरण व. चैतराम पता सा. देह निम्बोटी
2	64	0.161	0.042	लंगी व. करू बातड़ पुत्री करू रामवती बेवा करू करू व. काशीराम गोडू भूरिया पिता गेन्दया शिवलाल बुद्धु सदाराम कलीराम व. चुन्टी सा. देह दुल्लर कला सुखवती पिता चुन्टी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3	60	3.047	0.199	धनराज व. अमृतराव जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	61/3	0.100	0.100	
4	63	4.112	0.139	देवीराम भागीरथ प्रवीण व. किसनलाल प्रमिला लक्ष्मी उर्मिला कौशल्या पिता किसनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
5	53/1	1.433	0.081	विलासराव उर्फ धनराज व. संपतराव पारबती उर्फ बिरजो बेवा संपतराव जाति मेहरा पता सा. आमला
	61/1	0.320	0.051	
6	53/2	1.142	0.051	लीलावती भाई जौ. रामप्रसाद यादव गौली पता सा. निम्बोटी
	61/2	0.072	0.046	
7	53/5	2.094	0.330	भीमराव व. प्रहलाद जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
8	51/1	1.940	0.088	शीला बेवा रामदयाल सतीष उत्तम पिता रामदयाल सरस्वती पिता रामदयाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	51/4	0.270	0.051	
	51/7	0.079	0.046	
9	51/3	1.590	0.162	मुशाराम आशाराम व. मंगलू कला पिता जंगली निर्मला पिता मंगलू सुनिल विजय व. पंछी लामी पन्दू माया पिता पंछी वच्छला बेवा पंछी रविन्द्र रामदीन व. हरि रेखा पूजा पिता हरि संगीता बेवा हरि जाति गोंड
	51/6	0.130	0.051	
10	51/2	1.188	0.098	तुकाराम व. गंगलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
11	51/5	0.190	0.079	मनोता पिता गंगलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	51/10	1.189	0.105	नानक पिता गंगलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13	61/4	0.100	0.100	सहदेव व. चन्द्रभान जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	53/4	1.518	0.046	
महायोग		21.242	1.934	

1. चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशाधिकार,


(तेजस्वी प्रसाद नायक)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

K

प्रतिलिपि :-

- 1 - उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रनालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म०प्र० भोपाल की ओर म०प्र० राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ ।
- 2 - संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित । कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतिया भी भेजने का कष्ट करे ।
- 3 - कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतिया एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ।
- 4 - जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट WWW.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5 - प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाए तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।
- 6 - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाए तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।
- 7 - तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित । प्रति कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल / ग्राम पंचायत पर चस्पा करवाए एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।
- 8 - जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावे ।


अपर कलेक्टर

एवं. प्र०अ० भू-अर्जन, बैतूल